सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 75 राँची, शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची**

---

संकल्प

22 जनवरी, 2020

**संख्या-5/आरोप-1-119/2016-460 (HRMS)**-- श्रीमती मेरी मड़की, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सिमडेगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N) 2080, दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-469/मन0, दिनांक 26.07.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में श्रीमती मड़की के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. जिला स्तरीय गठित टीम के निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रखण्ड अड़की के ग्राम अड़की टोला मदुकामपीड़ी में मिट्टी मोरम पथ निर्माण (योजना कोड-3401006001/RC/9931644163) में बिना कार्य के कुल 2,60,496.00 (दो लाख साठ हजार चार सौ छियानबे रूपये) सरकारी राशि का भुगतान किया गया जो वित्तीय अनियमितता में आता है।

2. फर्जी मस्टर रॉल निर्गत किया गया जिस पर कार्य नहीं हुआ।

3. अभिलेख सही तरीके से संधारित नहीं था एवं उसमें कोई मस्टर रॉल निर्गत/MB दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। अभिलेख में सिर्फ योजना की प्रशासनिक स्वीकृत्यादेष की प्रति थी, अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा अभिलेख का संधारण नहीं कराया गया।

4. आप के द्वारा लगातार मनरेगा योजनाओं का पर्यवेक्षण नहीं किया गया। जिसके कारण बिना कार्य के ही सरकारी राशि का भुगतान किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8528, दिनांक-30.09.2016 द्वारा श्रीमती मड़की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती मड़की के पत्र, दिनांक-21.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री मड़की के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11073, दिनांक-27.12.2016 द्वारा उपायुक्त, खूँटी से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-286/मन0, दिनांक-15.04.2017 द्वारा द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

श्रीमती मड़की के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, खूँटी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-9899, दिनांक-18.09.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-30, दिनांक-24.01.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती मड़की के विरूद्ध विरूद्ध प्रतिवेदित चारों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्रीमती मड़की के विरूद्ध आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड विभागीय पत्रांक-8837, दिनांक 05.11.2019 द्वारा श्रीमती मड़की से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती मड़की के पत्र, दिनांक 02.12.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्रीमती मड़की द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तथ्यों का दोहराया गया है, जो इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती मेरी मड़की, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | MARY MARKEY<br>110001165673 | श्रीमती मेरी मड़की, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 75 -- 50